डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक:– CoE/106/2019
दिनांक:–11/03/2019

कार्यालय ज्ञाप

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–9, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या: 617 / छ: –पु0–9–19–20(10)(8) / 89टी0सी0 दिनांक 05 मार्च, 2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षा 2019 के लिए समस्त नोडल केन्द्र अधीक्षकों एवं परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होगें, नियुक्त किये है।

समस्त नोडल केन्द्र अधीक्षकों एवं परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षा को शुचितापूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन सम्पन्न करायें।

(डॉ0 ओम प्रकाश)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त– आगरा एवं अलीगढ मण्डल।
2. जिलाधिकारी– आगरा, मथुरा, अलीगढ, फिरोजाबाद, कासगंज, शिकोहाबाद, मैनपुरी, एटा।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक– आगरा, मथुरा, अलीगढ, फिरोजाबाद, कासगंज, शिकोहाबाद, मैनपुरी, एटा।
4. समस्त नोडल केन्द्र अधीक्षक एवं परीक्षा केन्द्र अधीक्षक।
5. उपकुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय।
6. सहायक कुलसचिव, कुलपति कार्यालय।
7. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय।
8. अधीक्षक, परीक्षा / गोपनीय।
9. डॉ0 गिरजाशंकर शर्मा, पी0आर0ओ0 को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को छात्रहित में समस्त दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. एजेन्सी को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र को समस्त नोडल केन्द्र / परीक्षा केन्द्र की लॉगइन आई0डी0 एव विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–617 / छः–पु0–9–19–20(10)(8) / 89टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 5 मार्च,2019

अधिसूचना

(शक्ति)

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा संचालित परीक्षा वर्ष–2019 के लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–24 सन् 1965) की धारा–2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को दिनांक 01 मार्च, 2019 से दिनांक 25 अप्रैल,2019 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या–617(1) / छः–पु0–9–2019 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना को गजट के 5 ~~फरवरी~~ मार्च, 2019 के अंक के भाग–4, खण्ड–''ख'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या–617(2) / छः–पु0–9–2019 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2) **आयुक्त**–आगरा मण्डल, आगरा।
(3) कुल सचिव, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा।
(4) **जिलामजिस्ट्रेट**–आगरा / अलीगढ़ / मथुरा / कासगंज / एटा / मैनपुरी / फिरोजाबाद / हाथरस।
(5) परीक्षा नियंत्रक, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को उनके पत्रांक–सीईओ / 70 / 2019, दिनांक 16.02.2019 के सन्दर्भ में।
(6) सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक **(द्वारा–परीक्षा नियंत्रक, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा)।**
(7) उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
(8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।